संख्या 795 /18(1)/2008

प्रेषक,

एन0एस0नपलच्याल,
प्रमुख सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
देहरादून।

राजस्व विभाग

देहरादूनः दिनांक: 21 अगस्त, 2008

विषयः– एयर फोर्स नेवल हाउसिंग बोर्ड को तहसील विकासनगर परगना पछवादून के ग्राम ईस्ट होप टाउन तथा ग्राम झाझरा में कुल 6 है0 भूमि पट्टे पर आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या– 125/18(1)/2007 दिनांक 08 अप्रैल, 2008, शासनादेश सं0–335 सी.एम./18(1)/2007 दिनांक 13 मई, 2008,तथा आपके पत्र सं0–1982/12ए–236(2005–2008)डी0एल0आर0सी0–08 दिनांक 09 जुलाई,2008 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद से त्रुटिवश समान प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण उक्त दोनो शासनादेशों के द्वारा ए0डब्ल्यू0एच0ओ0 तथा ऐअर फोर्स नेवल हाउंसिग बोर्ड को एक ही भूमि आबंटित हो गयी थी। अत ऐअर फोर्स नेवल हाउंसिग बोर्ड को शासनादेश संख्या– 125/18(1)/2007 दिनांक 08 अप्रैल, 2008, के द्वारा आबंटित पट्टा निरस्त करते हुए श्री राज्यपाल महोदय शासनादेश संख्या– 258/16 (1)/73–रा–1 दिनांक 09 मई, 1984 एवं यथा संशोधित शासनादेश संख्या–1695/97–1 –1(60)/93–रा–1 दिनांक 12–9–97 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार तहसील विकासनगर परगना पछवादून, ग्राम ईस्ट होप टाउन केखसरा सं0–893 मि0 रकबा 2 है0 तथा ग्राम झाझरा के खसरा सं0–1164 मि0 रकबा 4 है0 अर्थात कुल रकबा 6 है0 भूमि वर्तमान बाजार दर की दोगुने से निकाले गये भूमि के मूल्य के बराबर नजराना एक मुश्त जमा कराये जाने के अतिरिक्त नई दरों पर निकाली गयी मालगुजारी के 20 गुने के बराबर वार्षिक किराया नियत कर एयर फोर्स नेवल हाउसिंग बोर्ड, नई दिल्ली को एयरफोर्स व नेवी के सेवकों के लिए आवासीय भवन बनाये जाने हेतु निम्नलिखित शर्तो के अधीन पट्टे पर आवंटित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(1) प्रश्नगत भूमि का उपयोग उसी कार्य विशेष के लिए किया जायेगा जिसके लिए स्वीकृत की गयी है।

(2) प्रश्नगत भूमि किसी व्यक्ति व संस्थान या संगठन को बेचने/पट्टे पर देने अथवा किसी अन्य प्रकार से हस्तान्तरित करने का अधिकारी पट्टेदार को नहीं होगा। भूमि का उपयोग आवंटन के दिनांक से 03 (तीन) वर्ष की अवधि में पूर्ण कर लेना अनिवार्य होगा, अन्यथा आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

(3) प्रश्नगत भूमि पट्टेदार को राजस्व विभाग के नियन्त्रणाधीन सरकार सम्पत्ति के प्रबन्ध से सम्बन्धित शासनादेश संख्या– 150/1/85(24)–रा0–6 दिनांक 09 अक्टूबर, 1987 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत गवर्नमेन्ट ग्रान्ट्स एक्ट 1895 के अधीन पट्टा प्रथमतः 30 वर्षो के लिए होगा और पट्टेदार के लिए दो बार 30–30 वर्ष के लिए इसे नवीनीकरण कराने का विकल्प उपलब्ध होगा। सरकार को नवीनीकरण के समय लगान बढ़ाने का अधिकार होगा, जो पूर्व लगान के 1–1/2 गुना से कम नहीं होगा।

(4) प्रश्नगत भूमि की आवश्यकता पट्टेदार को न रह जायेगी तो भूमि निर्माण (Structure) सहित राजस्व विभाग को वापस हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर आदि देय न होगा।

(5) यदि भूमि/भवन का परित्याग कर दिया गया हो, अथवा आर्गेनाईजेशन (संस्था) का विघटन हो गया हो, तो भूमि/भवन सहित राज्य सरकार में सभी भारों से मुक्त निहित हो जायेगी।

(6) भूमि आवंटन से पूर्व नियमानुसार श्रेणी परिवर्तन किया जाना आवश्यक होगा।

(7) आवासीय कालोनी के निर्माण के पूर्व नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी/ विभाग की अनापत्ति (अनापत्तियाँ) प्राप्त कर ली जायेंगी। इसके अतिरिक्त इस भूमि में से भूखण्ड या भवन आवंटन का समस्त दायित्व एवं जिम्मेदारी भी संस्था की होगी।

(8) आवंटित भूमि का प्रयोग संस्था द्वारा सेवारत एवं पूर्व सैनिकों के लिये आवासीय भवन के निर्माण हेतु ही किया जायेगा।

(9) आवंटन की अवधि समाप्त होने अथवा उपरोक्त शर्तो बिन्दु सं0 1 से 8 तक की किसी भी शर्त का उल्लघंन होने की स्थिति में प्रश्नगत भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग में निहित हो जायेगी। जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।

2– उक्त आदेशों का तत्काल कियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एन0एस0 नपलच्याल)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

.....(3)

2– सचिव, सैनिक कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
4– श्री ए0एम0बहुगुणा, ब्रिग्रेडियर(अ0प्र0), निदेशक सैनिक कल्याण एवं पुर्नवास, उत्तराखण्ड, अंजली विहार, अजबपुर कलां, देहरादून।
5– डायरेक्टर जनरल, एयर फोर्स नेवल हाउसिंग बोर्ड, एयर फोर्स स्टेशन, नई दिल्ली, 110003.
6– मे0 ज0 श्री मोहन सिंह, मैनेजिंग डायरेक्टर आर्मी वैलफेयर हाउसिंग ऑरगेनाईजेशन, साउथ हटमैन्ट, कश्मीर हाउस, राजा मार्ग, नई दिल्ली–11।
7– निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय।
8– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सन्तोष बड़ोनी)
अनुसचिव।